बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

श्री सुरेश प्रसाद गुप्ता पिता श्री रूपचंद्र साव, ग्राम-पो.- पचना, शेखपुरा जिला के द्वारा जमुई जिला के जमुई अंचल अन्तर्गत मंझवे बालूघाट से एक कि.मी. के अंदर बालू स्टॉक किया जा रहा है, जबकि खान विभाग के नियमानुसार एक कि.मी. के अंदर पट्टाधारी बालू को स्टॉक नहीं कर सकता है। इसी प्रकार श्री नरसिंह सिंह, श्री श्यामल किशोर सिंह, श्रीमती पम्मी कुमारी को जिला खनन कार्यालय, जमुई के द्वारा बालूघाट का पट्टा दिया गया है, जिन्होंने एक कि.मी. के अंदर अपना बालू स्टॉक कर लिया है और बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है। एक ही स्टॉकधारी द्वारा एक ही चालान पर कई गाडियों से उठाव किया जा रहा है। चालान और स्टॉक के मिलान किए जाने से अनियमितता प्रमाणित हो जाएगी।

अत: इस अनियमितता पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में सरकार सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- संजय प्रसाद
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-193/2018 - 1530 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पटना जिला अन्तर्गत नौबतपुर एवं मसौढ़ी प्रखंड को जोड़ने वाली पुनपुन नदी पर नौबतपुर प्रखंड के नसोपुर एवं मसौढ़ी प्रखंड के पुआवां के बीच एक पुल का निर्माण अति आवश्यक है। क्योंकि हजारों लोगों को पटना पहुंचने के लिए लगभग 11 कि.मी. घूम कर मसौढ़ी के रास्ते आना पड़ता है। इनके बन जाने से पुनपुन नदी के दोनों तरफ के लगभग 25 गांवों के 37 हजार की आबादी को इसका लाभ मिलेगा एवं राजधानी पटना से आवागमन सुलभ हो जाएगा। जबकि नदी के उस तरफ पुआवां तक सड़क का निर्माण हो चुका है एवं इस तरफ नसोपुर तक भी सड़क का निर्माण किया जा चुका है। यह क्षेत्र उग्रवादी क्षेत्र होने की वजह से विकास से वंचित रहा है।

अत: इस पुल का निर्माण कराकर हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा दिलाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सी.पी. सिन्हा
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-192/2018 - 1529 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पथ निर्माण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य धीमा पड़ गया है। अधिकांश जगह पैसों के अभाव में मकानों का निर्माण कार्य ठप है। आलम यह है कि गत वित्तीय वर्ष में अब तक मात्र 207 मकान ही बन पाए हैं। जबकि 5.38 लाख इकाईयों (मकान) का निर्माण के लिए निबंधित कर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 2017-18 में इस योजना के तहत 1.80 लाख इकाइयों के निर्माण का जियो टैगिंग किया गया। सरकार ने 1.52 लाख मकान बनाने को स्वीकृत कर दिया। मंजूरी के बाद भी मात्र 93 हजार लोगों का मकान बनाने की पहली किश्त दी गई, मात्र सात हजार लोगों को दूसरी किश्त मिली और तीसरी किश्त सिर्फ 300 लोगों को मिली है। गरीबों का मकान स्वीकृति के बाद भी काफी संख्या में अधूरा पड़ा है।

अत: राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना को जनहित में शीघ्र बनाने के लिए सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- राधाचरण साह
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-194/2018 - 1531 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न. शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

सुपौल जिला के सुपौल प्रखंडान्तर्गत गणेशपुर ग्राम से सिराजपुर ग्राम तक 3.350 कि.मी. पथ का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत संवेदक द्वारा किया जाना था। इस योजना की कार्य प्रारंभ की तिथि – 01.03.2016 एवं कार्य समाप्ति की तिथि – 28.02.2017 था। 3,350 कि.मी. सड़क बनाना था परन्तु संवेदक के द्वारा सिर्फ 500 मीटर पी.सी.सी. कार्य कराया गया शेष पथ में जी.एस.बी. का कार्य किया गया, जो कि उड़ गया है।

अत: मैं सरकार से उपरोक्त बचे पथ का निर्माण कार्य करने एवं संबंधित दोषी पदाधिकारियों तथा संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- शिव प्रसन्न यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-195/2018 - 1532 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

बिहार उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के प्रावधानों के आलोक में नियमावली की अनुसूची 1 में शामिल खेल विधाओं के उत्कृष्ट खिलाडियों से राज्य सरकार के समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के द्वारा दिनांक- 25.07.2015 तक आवेदन प्राप्त किया गया था। परन्तु लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के आदेश ज्ञापांक- 10957 दिनांक- 25.08.2017 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि विभाग द्वारा उक्त नियमावली के विपरित अनुसूची-1 में वर्णित खेल प्रतियोगिता के साथ भेदभाव करते हुए कुछ खेल प्रतियोगिताओं के आवेदन पत्रों की जांच तक नहीं किया जा रहा है।

अत: सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक- 10957 दिनांक- 25.08.2017 निरस्त कर बिहार उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार सभी खेल प्रतियोगिता के उत्कृष्ट खिलाडियों की लंबित प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने तथा विलंब एवं भेदभाव करने वाले पदाधिकारी/ कर्मियों पर नियम संगत कार्रवाई करने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह0/- रीना देवी
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-196/2018 - 1533 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 13.07.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

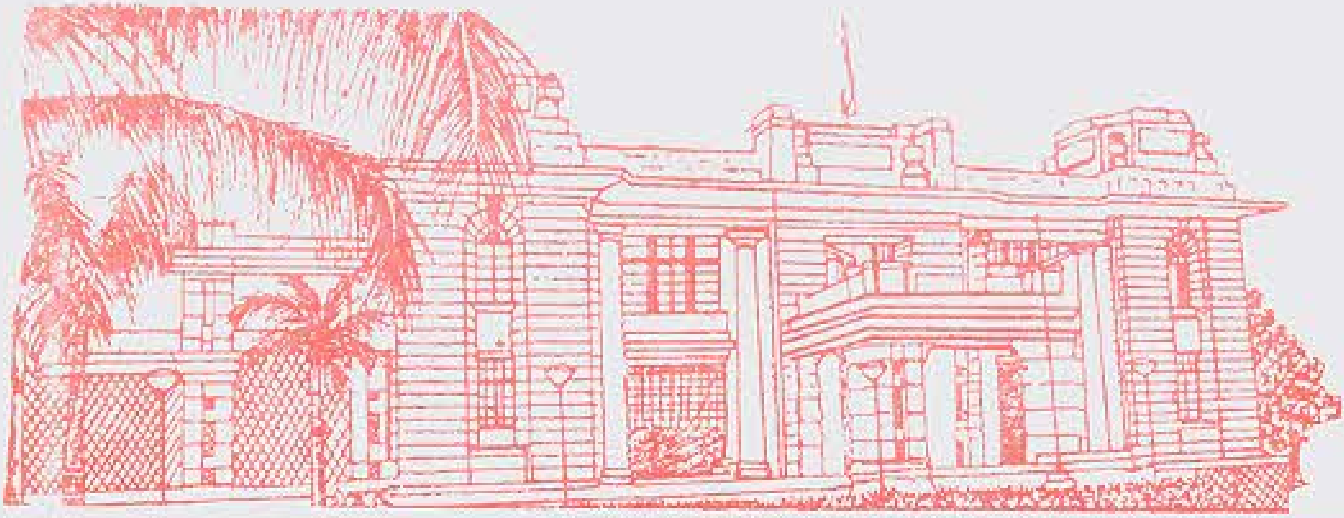

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला के पंडौल औद्योगिक क्षेत्र में सूत मिल की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। मिल में करीब बीस करोड़ की लागत से नवीनतम तकनीक की मशीनें एवं आधारभूत संरचना यहां तैयार की गई थी। उत्पादन भी शुरू हुआ, अच्छी उपलब्धि एवं सही उत्पादन की चर्चा सर्वत्र होने लगी, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण उत्पादन ठप होने से मिल बंद हो गई। मिल के कुछ कर्मियों की नौकरी का समायोजन दूसरी जगह कर ली गई और कुछ कर्मी रोजगार की तलाश में अन्यत्र पलायन कर गए। इस मिल के पास काफी मात्रा में जमीन है जिस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उक्त मिल में उत्पादन शुरू होने का लाभ बुनकरों को मिलेगा, जो मिल बंद होने से बाहर से सूत की खरीदारी करने को मजबूर हैं। सरकार की उदासीनता के कारण पंडौल के औद्योगिक क्षेत्र का विकास बाधित है। लोग उद्योग के नाम पर जमीन आवंटन कराकर आवासीय कॉलोनी के रूप में अवैध ढंग से वहां रह रहे हैं। एक तरफ सरकार औद्योगिक विकास की बात करती है और दूसरी तरफ जो उद्योग था वह बंद पड़ा है।

अत: इस क्षेत्र की जनता के हित में पंडौल औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं अन्य उद्योग के साथ सूत मिल को चालू करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- प्रेम चन्द्र मिश्रा
स.वि.प.

ज्ञापांक :वि.प.अ.प्र.-197/2018 - 1534 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ उद्योग विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के ग्राम- गंगवाड़ा नवटोली फ्लावर मिल के पीछे से ग्यारह हजार वाट का तार मुहल्ला के करीब बीस घरों के ऊपर से गुजरती है जिनमें राम वृक्ष यादव, महाकान्त मिश्र, इन्द्र कुमार झा, पशुपति नाथ झा, चंचला देवी, रामकुमार झा, सुशील झा आदि हैं। इस तार के चपेट में आने के कारण कई बार दुर्घटना घट चुकी है जिनमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। मुहल्ला के बगल से ही मुख्य सड़क गुजरती है। मुहल्ला वासियों ने कई बार आवेदन दिया कि इस ग्यारह हजार वाट के तार को मुहल्ला के ऊपर से हटाकर मुख्य सड़क के ऊपर से गुजरने की व्यवस्था कर दी जाए परन्तु न तो गंगवाड़ा सब स्टेशन के अधिकारी और न ही बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के उपाय किए। इस बिजली तार के कारण मुहल्लावासियों की जान हमेशा संकट में फंसी रहती है और उन्हें हमेशा जान-माल की क्षति की संभावना सताए रहती है।

अतः ध्यानाकर्षण के माध्यम से गंगवाड़ा-नवटोली मुहल्ला के ऊपर से गुजरने वाले ग्यारह हजार वाट के तार को मुहल्ला से हटाकर मुख्य सड़क के ऊपर से गुजारने का आदेश देने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक :त्रि.प.अ.प्र.-213/2018 - 1535 (1) दिनांक- 13.07.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ ऊर्जा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक - 23/07/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 13.07.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।